न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या 53/2019**(**GCMS : 2019/00097**)

पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा : श्री गुरूनानक गर्ल्स सीनियर सैकण्डरी स्कूल, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर–335001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी

बनाम

1. **ऋण खाता (अ)**
   मैसर्स आधुनिक फर्नीचर उद्योग प्रो. श्री श्रीप्रकाश पुत्र श्री राम चन्देर दुकान नं. 16–17, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जवाहर नगर, मीरा चौक के पास, श्रीगंगानगर
2. **गारन्टर श्रीमती संतोष** पत्नी श्री श्रीप्रकाश, दुकान नं. 16, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जवाहर नगर, मीरा चौक के पास, श्रीगंगानगर
3. **श्री सुरेन्द्र कुमार जांगिड़** पुत्र श्री पूरणमल, 5/3, गणपति नगर, श्रीगंगानगर
   ऋण खाता (ब)
4. **मैसर्स जांगिड ब्रदर्स –प्रो. श्रीमती संतोष जांगिड** पुत्र श्री श्री प्रकाश, दुकान नं. 16–17, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जवाहर नगर, मीरा चौक के पास, श्रीगंगानगर
   गारन्टर
5. **श्री श्रीप्रकाश जांगिड** पुत्र श्री रामचन्द्र, दुकान नं. 16–17, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जवाहर नगर, मीरा चौक के पास, श्रीगंगानगर
6. **श्री शंकर लाल** पुत्र श्री तोलाराम, चक 3–ई छोटी, गली नं. 7 शिव नगर, श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.09.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 27.03.2019 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स आधुनिक फर्नीचर उद्योग– प्रो. श्रीप्रकाश, सन्तोष, सुरेन्द्र कुमार जांगिड़, मैसर्स जांगिड़ ब्रदर्स – प्रो. संतोष जांगिड़, श्रीप्रकाश जांगिड़ एवं शंकर लाल को ऋण सुविधा के रूप में खाता अ में 15.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये पन्द्रह लाख मात्र) का ऋण दिनांक 04.09.2013 को एवं खाता ब में 25.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये पच्चीस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 06.06.2017 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी श्री श्रीप्रकाश द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति दुकान नं. 17, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.10.12 12:12:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जवाहर नगर, मीरा चौक के पास (क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर), श्रीगंगानगर हाईपोथिकेटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल स्टॉक्स, फर्नचर वर्क इन प्रोसेसे, ऑल टाईप ऑफ गुड्स जैसे सेमी फिनिश्ड गुड्स एण्ड फिनिश्ड गुड्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक–डेब्टस, आउटस्टैन्डिंग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्यूपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज एण्ड प्लांट एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि (हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट में विस्तृत रूप से परिभाषित) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की थी और अब चूंकि अप्रार्थीगण ऋणियों का खाता अपडेट हो चुका है, इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणियों के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 27.03.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण मैसर्स आधुनिक फर्नीचर उद्योग– प्रो. श्रीप्रकाश, सन्तोष, सुरेन्द्र कुमार जांगिड़, मैसर्स जांगिड़ ब्रदर्स – प्रो. संतोष जांगिड़, श्रीप्रकाश जांगिड़ एवं शंकर लाल के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में श्री श्रीप्रकाश की अचल सम्पत्ति दुकान नं. 17, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जवाहर नगर, मीरा चौक के पास (क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर), श्रीगंगानगर हाईपोथिकेटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल स्टॉक्स, फर्नचर वर्क इन प्रोसेसे, ऑल टाईप ऑफ गुड्स जैसे सेमी फिनिश्ड गुड्स एण्ड फिनिश्ड गुड्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक–डेब्टस, आउटस्टैन्डिंग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्यूपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज एण्ड प्लांट एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि (हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट में विस्तृत रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.10.12 12:12:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

परिभाषित) का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का लिखित प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक ने पेश किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.10.12 12:12:06 IST
Reason: SelfAttested